न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 33 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 443
प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
मुकनाराम पुत्र राणाराम, जाति मेघवाल, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन खारिज करने बाबत्।

————

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री गिरधरसिंह भाटी (अप्रार्थी)।

–: आदेश :– दिनांक :– 05.08.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी का आवंटन खारिज करने के लिए प्रस्तुत किया हैं। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 214 / 1 रकबा 0.01 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थी को जिला कलक्टर के आदेष / प / 12 / (3–)राज / विविध / 06 / 1272 दिनांक 22.04.2006 के द्वारा नलकूप हेतु 10 वर्ष की अवधि (2060 से 2069 तक) के लिए किया गया था। वर्तमान में मौके पर नलकूप खुदा है तथा चालू है। राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(6) के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। खसरा संख्या 166 / 1 रकबा 0.05 गैर मुमकिन मगरा उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेष क्रमांक 314 दिनांक 08.04.1999 के द्वारा गैर खातेदार को कुआँ खोदने व पम्पिग सेट लगाने हेतु लीज पर आवंटन किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर भी गैर खातेदार का कब्जा है और चारदीवारी बनी हुई है। उक्त दोनों के खसरों की किस्म के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अन्त में गैर खातेदार मुकनाराम पिता राणाराम, जाति मेघवाल, को ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 214 / 1 रकबा 0.01 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा संख्या 166 / 1 रकबा 0.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा का आवंटन निरस्त कर सिवाय चक घोषित करने की प्रार्थना की।

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जो अप्रार्थीगण को विधिवत् तामील हुए। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधरसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 29.07.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी मुकनाराम द्वारा नलकूल के लिए भूमि आवंटन के लिए जिला कलक्टर कार्यालय में आवेदन किया गया। उक्त आवेदन को जिला कलक्टर महोदय द्वारा ग्राम बाडी तहसील ओसियां के खसरा संख्या 214 रकबा 7.16 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता में मौजूदा नलकूप को नियमन करने बाबत् शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर को भेजा गया। शासन उप सचिव महोदय पत्रांक प–2(192)राज / ग्रुप–3 / 06 दिनांक 04.04.06 के द्वारा प्रस्तावानुसार ग्राम बाड़ी तहसील ओसियां के खसरा नं0 214 रकबा 7.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1979 के नियम–12(क) के अन्तर्गत अप्रार्थी मुकनाराम के पक्ष में कीमतन आवंटन / नियमन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति प्राप्त होने पर जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा अप्रार्थी मुकनाराम को ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 214 खसरा संख्या 7.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 बीघा यानि 1 बिस्वा भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 12(क) में वर्णित शर्तों एवं उपबन्धों के आधार पर आवंटित / नियमित की गई। इससे स्पष्ट है उक्त भूमि की किस्म राज्य सरकार के द्वारा परिवर्तित की गई जो नियमानुसार विधि अनुसार किया गया है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी मुकनाराम को ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 214 खसरा संख्या 7.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 बीघा यानि 1 बिस्वा भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1979 के नियम 12(क) में वर्णित शर्तों एवं उपबन्धों के आधार पर आवंटित / नियमित की गई। जिला

कलक्टर द्वारा उक्त आवंटन / नियमन शासन उप सचिव महोदय पत्रांक प–2(192)राज / ग्रुप–3 / 06 दिनांक 04.04.06 के द्वारा ग्राम बाड़ी तहसील ओसियां के खसरा नं0 214 रकबा 7.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 बीघा भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1979 के नियम–12(क) के अन्तर्गत अप्रार्थी मुकनाराम के पक्ष में कीमतन आवंटन / नियमन की स्वीकृति मिलने के पश्चात् विधि अनुसार किया गया। अप्रार्थी मुकनाराम को ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 166 / 1 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन मगरा उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेष क्रमांक 314 दिनांक 08.04.1999 के द्वारा गैर खातेदार को कुआँ खोदने व पम्पिग सेट लगाने हेतु लीज पर आवंटन किया गया चूंकि भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिसका आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंषिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मुकनाराम को ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 166 / 1 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन मगरा उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेष क्रमांक 314 दिनांक 08.04.1999 के द्वारा गैर खातेदार को कुआँ खोदने व पम्पिग सेट लगाने हेतु लीज पर आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी मुकनाराम को ग्राम बाड़ी के खसरा संख्या 214 खसरा संख्या 7.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.05 बीघा यानि 1 बिस्वा भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 12(क) में वर्णित शर्तों एवं उपबन्धों के आधार पर आवंटन को यथावत रखा जाता है। आदेष की प्रति तहसीलदार तिंवरी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)